भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 266
04 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

रोगाणुरोधी औषधियों के लिए नीली पट्टी

266 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की औषधि परामर्श समिति ने उपभोक्ताओं को चेतावनी देने के लिए रोगाणुरोधी औषधि पट्टी के रंग को नीले रंग में बदलने की सिफारिश की है;
(ख) रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) से निपटने के प्रयासों के तहत औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 और नियमों के अंतर्गत रोगाणुरोधी औषधियों की पट्टियों के रंग को नीले रंग में बदलने के प्रस्ताव पर सरकार का क्या रूख है; और
(ग) मंत्रालय द्वारा विशेषकर काउंटर पर बिकने वाली जीवाणुनाशक औषधियों की निगरानी और विनियमन के लिए क्या अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं ताकि इनके दुरुपयोग को रोका जा सके और एएमआर का समाधान किया जा सके ?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): ओषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 7 के अंतर्गत औषधि परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) एक सलाहकार समिति है जो उक्त अधिनियम को लागू करने में पूरे भारत में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी मामले पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) को परामर्श देती है। ओषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय डीटीएबी ने रोगाणुरोधी दवाओं के लेबल पर रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) चेतावनी लगाने के लिए नीली पट्टी/बॉक्स जोड़ने पर विचार-विमर्श किया है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और मंत्रालय ने दुरुपयोग को रोकने और एएमआर मुद्दों का समाधान करने के लिए विशेष रूप से ओवर-द-काउंटर बिक्री के लिए एंटीबायोटिक नुस्खों की निगरानी और विनियमन के लिए विभिन्न नियामक उपाय किए हैं:-

(i) एंटीबायोटिक्स को औषधि नियम, 1945 की अनुसूची एच और एच1 में शामिल किया गया है। इन दवाओं के लिए विशिष्ट लेबलिंग अपेक्षताएं हैं और केवल पंजीकृत चिकित्सक के नुस्खे के तहत बेचा

जाता है। अनुसूची एच1 में निर्दिष्ट दवा की आपूर्ति को आपूर्ति के समय एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और ऐसे रिकॉर्ड तीन साल तक रखे जाते हैं और निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहते हैं।

(ii) राज्य औषधि नियामकों और अन्य हितधारकों को अपेक्षताओं के सख्त अनुपालन और एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न नोटिस/एडवाइज़री/पत्र जारी किए गए हैं।

(iii) सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय उपचार दिशानिर्देश जारी किए हैं। संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण संबंधी दिशानिर्देशों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संक्रमणों की रोकथाम और नियंत्रण करना है ताकि स्वास्थ्य सेवा सेटिंग्स में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम किया जा सके।

(iv) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने मांस, मांस उत्पादों, मुर्गी और अंडे, समुद्री-भोजन या किसी भी प्रकार की मछली और मत्स्य उत्पादों के प्रसंस्करण के किसी भी चरण में 19 एंटीबायोटिक दवाओं और पशु चिकित्सा दवाओं के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाली अधिसूचना जारी की है और विभिन्न पशु ऊतकों और दूध के लिए 103 एंटीबायोटिक दवाओं और पशु चिकित्सा दवाओं के लिए सह्य मात्रा सीमाएँ निर्दिष्ट की हैं।

(v) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 97 में संशोधन किया गया है, जिससे यह अनिवार्य हो गया है कि खाद्य-उत्पादक पशुओं के उपचार संबंधी दवा के कंटेनर पर उस प्रजाति पर दवा की विड्रॉल अवधि अंकित की जाएगी।

(vi) कोलिस्टिन और इसके फॉर्मूलेशन को 19.07.2019 से खाद्य उत्पादक पशुओं, मुर्गी पालन, जलीय कृषि और पशु आहार पूरक के रूप में उपयोग हेतु विनिर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(vii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध पर रेड लाइन जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसमें लोगों से डॉक्टर के पर्चे के बिना एंटीबायोटिक्स सहित लाल खड़ी रेखा से चिह्नित दवाओं का उपयोग न करने का आग्रह किया गया।

(viii) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सामान्य सिंड्रोम में रोगाणुरोधी उपयोग के लिए उपचार दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें वायरल ब्रोंकाइटिस और निम्न-श्रेणी के बुखार होने पर एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के दिशानिर्देश शामिल हैं।

*****